राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	1809/2024 राजेश कुमार ताम्बी	1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्य कार्यालय) माध्यमिक शिक्षा, दौसा।	17.05.2024	श्री बी.बी.एल.शर्मा, अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
2.	1810/2024 महावीर कुमार खंगार			
3.	1811/2024 रामावतार मीणा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 एवं 3 4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बांदीकुई, दौसा।		
4.	1832/2024 रामकेश मीणा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 एवं 3	21.05.2024	
5.	1851/2024 राजेन्द्र कुमार स्वामी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर, जिला सीकर (राज.)। 4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खण्डेला, तहसील खण्डेला, जिला सीकर। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Kanwat, तहसील खण्डेला, जिला सीकर।	24.05.2024	श्री लोकेश कुमार वर्मा, अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
6.	1928/2024 रामस्वरूप मीणा	1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्य कार्यालय) माध्यमिक शिक्षा/सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, दौसा।	03.06.2024	श्री बी.बी.एल.शर्मा, अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
7.	1929/2024 बच्चूलाल मीणा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्य कार्यालय), माध्यमिक शिक्षा, दौसा।		
8.	1930/2024 नन्द किशोर मीणा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 एवं 3 4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, जयपुर (राज.)।		
9.	1931/2024 कालूराम मीणा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 एवं 3		
10.	1934/2024 रामस्वरूप	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय भरतपुर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कासोट, डीग।	03.06.2024	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
11.	1935/2024 रामदास लहरी	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, धौलपुर। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अब्दुलपुर, बाड़ी धौलपुर।		

12.	2093/2024 संदीप माथुर	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, जयपुर शहर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बेगस, झोटवाड़ा, जयपुर।	25.06.2024	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
13.	2106/2024 राजेश दुबे	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, अजमेर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालूपुरा रोड़ नगर, अजमेर।	26.06.2024	
14.	2107/2024 रेखा रानी अरोड़ा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 एवं 3 4. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुचील, जिला अजमेर।		
15.	2281/2024 हेमलता शर्मा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली संभाग, पाली। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धुन्धला, जिला पाली।	11.07.2024	
16.	2371/2024 सुमन टेलर	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तालेडा, जिला बूंदी।	23.07.2024	
17.	2459/2024 आनन्द सिंह गुर्जर	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, जयपुर शहर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, परशुरामद्वारा, जयपुर।	01.08.2024	
18.	2565/2024 अमर पाल मीना	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 एवं 3 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडवा बस्सी, जिला जयपुर।	16.08.2024	

आदेश की दिनांक : 25.09.2024

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2281/2024 हेमलता शर्मा बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान–सरकार, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.12.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4800 तथा 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर

दिनांक 09.04.2021 से ग्रेड पे 5400 में निर्धारण करते हुये समस्त शेष राशि का भुगतान मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से किया जावे और अपीलार्थी से कोई वसूली नहीं की जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर अप्रेल, 1994 में हुई थी, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 09.04.1994 को कार्यग्रहण किया था। इसके पश्चात् अपीलार्थी को वर्ष 1997 में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर समायोजित किया गया और वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दिनांक 17.12.2014 के द्वारा पदोन्नति दी गई। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.07.2013 को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 के अंतर्गत ग्रेड पे परिवर्तित करते हुए अध्यापक ग्रेड तृतीय की ग्रेड पे 3600 की गई। 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम ए.सी.पी. 4200 की गई। 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 4800 ग्रेड पे निर्धारित की गई तथा 27 वर्षीय ए.सी.पी. पर 5400 ग्रेड पे निर्धारित की गई। 18 वर्ष पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2006 से ग्रेड पे 3600 की गई, जिसे दिनांक 01.07.2013 से पुनर्निधारित करते हुये ग्रेड पे 4200 की गई और तृतीय चयनित वेतनमान दिनांक 01.07.2014 से ग्रेड पे 4800 की गई। अपीलार्थी को ग्रेड पे 4800 का लाभ प्रदान किया गया। उनका कथन है कि माननीय अधिकरण द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 का लाभ दिये जाने के संबंध में आदेश जारी किया है और ग्रेड पे 4800 कम करते हुये ग्रेड पे 4200 में निर्धारित कर जो वसूली की गई है, उसे वापिस किये जाने के आदेश दिये गये हैं। इसी तरह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2458/2003 हरफूल सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 03.07.2009 को अवैध मानते हुये नियमानुसार प्रयोगशाला सहायक को भी अध्यापक ग्रेड तृतीय के समान एंट्री पे स्केल 4500–7000 में वेतन निर्धारण करते हुये फिक्सेशन किया जाना चाहिये। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है और इस प्रकार अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुये 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 प्रदान की जानी चाहिये, जोकि अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी

द्वारा उक्त मामले के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका कोई निराकरण नहीं किया गया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.12.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4800 तथा 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 09.04.2021 से ग्रेड पे 5400 में निर्धारण करते हुये समस्त शेष राशि का भुगतान मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से किया जावे और अपीलार्थी से कोई वसूली नहीं की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई थी और वित्त विभाग का पत्र दिनांक 05.07.2013 की अनुपालना में अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतनमान नियमानुसार संशोधित किये गये हैं और ग्रेड पे 3600, 4200 एवं 4800 ही अपीलार्थी को देय हैं, जो नियमानुसार दिये जा चुके हैं। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर अप्रेल, 1994 में हुई थी, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 09.04.1994 को कार्यग्रहण किया था। इसके पश्चात् अपीलार्थी को वर्ष 1997 में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर समायोजित किया गया और वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दिनांक 17.12.2014 के द्वारा पदोन्नति दी गई। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए. सी.पी. की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। जो प्रयोगशाला सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित हो गए हैं वे अध्यापक के

पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचनानुसार इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित समस्त अपीलें स्वीकार की जाती हैं और अपीलार्थीगण की 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवायें पूर्ण होने पर नियमानुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 प्रदान किया जावे और यदि उक्त नियमानुसार उक्त ग्रेड पे प्रदान की गई हैं तो उक्त मामले के संबंध में अपीलार्थीगण से कोई राशि वसूल नहीं की जावे और यदि उनसे कोई राशि वसूल की गई हो तो उक्त राशि उन्हें तीन माह की अवधि में लौटाई जाए। यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्रत्याहृत (withdraw) नहीं किए जाएं। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह सुनिश्चित करे।

मूल आदेश अपील संख्या 2281/2024 हेमलता शर्मा बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान–सरकार, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष